न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 484–दो / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–7–09 पारित द्वारा कलेक्टर, शहडोल प्रकरण कमांक 19 / स्वमेव निगरानी / 2006–07.

———

1– राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
2– महेन्द्र प्रसाद गुप्ता
3– चन्द्र शेखर प्रसाद गुप्ता
4– विमलेश कुमार गुप्ता
5– अनीता
6– सुभ्रदाबाई
पुत्रगण एवं पुत्रियां तथा पत्नि
स्व. श्री कौशलप्रसाद गुप्ता
निवासीगण जयसिंह नगर तह. जयसिंग नगर,
जिला शहडोल म.प्र.
——— आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर जिला शहडोल
——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती नीना पाण्डे ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 03 सितम्बर, 14 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर, शहडोल के प्रकरण कमांक 19 / स्व. निग. / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 1–7–09 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण के पिता कौशलप्रसाद पिता सम्पत कुमार गुप्ता को ग्राम जयसिंहनगर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 1925 / 3 रकबा 0.142 हैक्टर तहसीलदार, जयसिंह नगर के प्र0क0 19 / अ–6 / 73–74 में पारित आदेश दिनांक 25–2–74 द्वारा व्यवस्थापित की गई थी । आयुक्त, भू–अभिलेख म.प्र. ग्वालियर के पत्र दिनांक 28–9–06 के द्वारा फर्जी पट्टों की जांच किए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी ने प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन आदेश को

विधि विरूद्ध होने का उल्लेख करते हुए कलेक्टर को दिनांक 20.5.07 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने दिनांक 4–6–07 को तहसीलदार के आदेश को 31 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया एवं आवश्यक कार्यवाही उपरांत आलोच्य आदेश पारित करते हुए तहसीलदार के आदेश को अधिकार विहीन मानते हुए निरस्त किया एवं प्रश्नाधीन भूमि को पूर्ववत म.प्र. शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं । कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आलोच्य भूमि का व्यवस्थापन उनके पिता के पक्ष में दिनांक 25–2–74 को तहसीलदार ने विधिवत प्रक्रिया अपनाकर किया था । व्यवस्थापन के पश्चात आवेदक ने भूमि पर काफी मेहनत व धनराशि खर्च करके उसे कृशि योग्य बनाया है ।

यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी में लिया गया है जबकि कारण बताओ सूचनापत्र के साथ अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन की कोई प्रति आवेदक को प्रदान नहीं की गई थी । आवेदक की बिना साक्ष्य लिए प्रतिवेदन के आधार पर आदे । पारित करना विधिसम्मत नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि भूमि व्यवस्थापन के 31 वर्ष से अधिक समय पश्चात कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है जो अवैधानिक है । यह भी कहा गया कि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय में ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 मोहम्मद कवि विरूद्ध फात्माबाई इब्राहिम (खंडपीठ माननीय उच्चतम न्यायालय) एवं 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) के न्याय उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं ।

4/ अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25–2–74 को 31 वर्ष से अधिक समय पश्चात् स्वप्रेरणा से

निगरानी में लिया जाकर, एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर निरस्त किया गया है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । आवेदक के अनुसार उसके द्वारा इस दौरान प्रश्नाधीन भूमि पर धनराशि व्यय की जाकर भूमि को विकसित कर लिया गया है तथा भूमि पर उनके मकान बने हुए हैं । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 मोहम्मद कवि विरूद्ध फात्माबाई इब्राहिम में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

" परिसीमा – स्वप्रेरणा से जांच की शक्ति – कानून के अधीन परिसीमा की अवधि उपबंधित नहीं । युक्तियुक्त समय के भीतर प्रारंभ की जाना चाहिए – प्रयोजन के लिए एक वर्ष अयुक्तियुक्त हो सकता है । "

" भू – राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 – स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति – युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जा सकती हैं – मात्र एक वर्ष भी अयुक्तियुक्त हो सकता है ।"

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में यह अभिनिर्धारित किया गया है –

" म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की 20 धारा – 50 पुनरीक्षण प्राधिकारी की स्वप्रेरित शक्तियां – प्रयोग में लाना – पुनरीक्षणीय प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरित शक्तियों को प्रयोग में लाये जाने के लिए विधान में कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है, केवल इसलिए किसी भी समय इस शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पुनरीक्षणीय प्राधिकारी को असीमित अधिकार प्रदत्त नहीं होगा ।

" म0प्र0 भू–राजस्व संहिता (1959 की 20), धारा – 50 पुनरीक्षणीय प्राधिकारी की स्वप्रेरित शक्तियां – स्वप्रेरित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी आदेश पारित किए जाने से पहले जिस व्यक्ति के लिए ऐसी शक्तियों को प्रयोग में लाया जाना हो उस पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव का भी विचार किया जाना चाहिए । "

" म0प्र0 भू–राजस्व संहिता (1959 की 20), अध्याय V, धारा – 50 – स्वप्रेरणा की शक्तियां – ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध स्वप्रेरणा की शक्ति को प्रयोग में लाना जिसे अपूरणीय हानि नहीं हुई है – आदेश/कार्यवाहियों में अवैधता, अनुचितता अथवा अनियमितता का पता चलने की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि, सरकारी भूमि अथवा लोक हित के संरक्षण के लिए पुनरीक्षण की स्वप्रेरणा शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए युक्तियुक्त अवधि होगी । "

प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित विधिसम्यक आदेश दिनांक 25–2–74 को, कलेक्टर द्वारा 31 वर्ष से अधिक लंबी अवधि

के पश्चात स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है । अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–7–09 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार की जाती है । यह निर्देश भी दिए जाते हैं प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर